एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2659/2007
हबीब खां बनाम गुलजार हुसैन व अन्य

13.4.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री पंकज गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। इस रिट याचिका में उन्होनें आदेश दिनांक 17.2.2007 को चुनौती देते हुए यह कथन किया है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 ने एक दावा जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्व विवादित सम्पत्ति में विघुत कनेक्शन लेने हेतु प्रस्तुत किया था जबकि उसी सम्पत्ति के बाबत दोनों पक्षकारों के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद, जो याची द्वारा दायर किया गया था, चल रहा था। श्री गुप्ता का कथन है कि दूसरा दावा पहले दावे में जारी किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरर्थक कराने के उददेश्य से दायर किया गया था। आक्षेपित आदेश से याचिकाकर्ता का दूसरे दावे में उसे पक्षकार के रुप में संयोजित किये जाने का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं यह पाता हूं कि विवादित सम्पत्ति को दोनों ही पक्षकार अपनी अपनी बताते हैं तथा दूसरा दावा एक पक्षकार द्वारा मात्र विघुत सम्बन्ध प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मैं आक्षेपित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाता हूं और इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता हूं। अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। यदि याची यह समझता है कि विघुत कनेक्शन दिये जाने से प्रथम दावे में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना होती है तो वे इस बाबत न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति